ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 04/2006 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटीयों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नाहन के अवधि 04/2006 से 03/2014 के लेखों का वतमान एवं प्रथम अंकेक्षण/जांच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, इस विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 22.10.14 से 2.12.14 के दौरान उपमण्डल अधिकारी (ना0) कार्यालय, नाहन में किया गया दर्शाया गया है। माह 3/07, 4/07, 12/08, 3/10, 6/10, 11/11, 8/12 व 3/14 के लेखाओं का चयन तथा व्यय पक्ष की विस्तृत जांच के लिए तथा माह 11/06, 1/08, 6/08, 8/09, 12/10, 2/12, 6/12 व 1/14 के लेखों का चयन आय पक्ष की विस्तृत जांच के लिए किया गया।

(ख) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सिरमौर का गठन सभाऐं पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत दिनाँक 18.11.2005 को पंजीकरण संख्या 409/2005 के अन्तर्गत हुआ। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष व सचिव पद पर कार्यरत रहे।

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री आर0एस0 नेगी	अध्यक्ष	14.7.05 से 18.1.08
2	श्री पुष्पेन्द्र राजपूत	अध्यक्ष	18.1.08 से 18.6.09
3	श्री पदम सिंह चौहान	अध्यक्ष	6.7.09 से 29.1.11
4	श्रीमती मीरा मोहन्ती	अध्यक्ष	29.1.11 से 30.4.12
5	श्री पदम सिंह चौहान	अध्यक्ष	30.4.12 से 4.1.13
6	श्री प्रियतु मण्डल	अध्यक्ष	4.1.13 से 4.7.13
7	श्री विकास लाबरू	अध्यक्ष	4.7.13 से 27.8.14
8	श्री मनमोहन शर्मा	सदस्य	13.1.03 से 11.5.06
9	श्री सुमित खेमटा	सदस्य	12.5.06 से 26.2.08
10	श्रीमती मीरा मोहन्ती	सदस्य	27.2.08 से 31.1.09
11	श्री अरूण कुमार	सदस्य	31.1.09 से 16.7.10
12	श्री देवेन्द्र कंवर	सदस्य	27.7.10 से 18.5.11
13	श्री हेमिस नेगी	सदस्य	19.5.11 से 30.9.11
14	श्री राना प्रीत पाल सिंह	सदस्य	1.10.11 से 30.1.13
15	श्रीमती ज्योति राणा	सदस्य	30.1.13 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	सारथी एवं वाहन क रूप में प्राप्त राशि के 25 प्रतिशत भाग की राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाना	0.14
2	9	दूरभाष के बिलों की अदायगी हेतु अनियमित भुगतान करना	0.14
3	10	Air Conditioner की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.24
4	11	फोटोस्टेट मशीन की मुरम्मत पर अनियमित व्यय करना	0.10
5	14	औपचारिकताएं पूर्ण किये बगैर ही DMP Printer की खरीद करना	0.12

2 डिस्कलैमरः–

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई0–गर्वनैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नाहन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना उपलब्ध करवाने अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के कारण पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) नाहन के अवधि 04/2006 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु ₹10000/–(दस हजार मात्र) आँका गया, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनाँक 2.12.14 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नाहन द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की अवधि 6/06 से 3/14 की वितीय स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

(ख) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को बैंक पास बुक तथा रोकड़ बही के अन्तशेष में ₹26196/–का अन्तर पाया गया जिसमें से ₹23625/–का अन्तर रोकड़ बही से जारी किए गए उन चैकों के कारण था जिन्हें बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "क–1"** में दिया गया है तथा शेष ₹2571/– का अन्तर बैंक द्वारा दिये गये ब्याज को रोकड़ बही पर दर्ज न करने के कारण था। परिणाम स्वरुप माह 9/2013 को ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी के खाते की कुल राशि को

अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नाहन के खाते में हस्तांतरण के समय भी इस ₹2571/– का अन्तर पाया गया क्योकि रोकड़ बही के अनुसार **माह 9/13 के अन्तिम शेष में** ₹237498 जमा पाई गई जबकि बैंक पासबुक के अनुसार **माह** 9/2013 को हस्तांतरित की गई ₹240069 पाई गईं। इस प्रकार उक्त ₹26196 का अन्तर मुख्यतः समय समय पर बैंक द्वारा दिये गये ब्याज को रोकड़ बही पर दर्ज न करना तथा uncashed cheques के कारण है। अतः विभागीय स्तर पर माह 9/13 से पूर्व की बैंक पासबक में जमा राशि तथा रोकड़ बही में जमा राशि का मिलान करके बैंक समाधान विवरण तैयार की जाये एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाई जाये।

5 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान सोसाईटी द्वारा किसी भी राशि का निवेश सावधि जमा योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

6 सारथी एवं वाहन के रूप में प्राप्त राशि के 25% भाग की ₹14485/– को राजकीय कोष में जमा न करवानाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार राशियां सारथी तथा वाहन शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं से एकत्रित तो की गई परन्तु इनका 25**%** भाग राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया। तत्पश्चात अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे चालान नं0 27 दिनांक 9.12.14 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दिया गया है तथा जमा की पुष्टि कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस उप्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

क्र0सं0	विवरण	सारथी	वाहन
1	दिनांक 25.11.13 से 17.12.13 तक प्राप्त राशि	2645	3715
2	दिनांक 12.2.14 से 1.3.14 तक प्राप्त राशि	4564	3563
		7209	7246
		कुल योग	**14485**

7 बचत खाते पर अर्जित ब्याज को रोकड बही में दर्ज न करनाः–

जांच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार राशियां ब्याज के रूप में बचत खाते के आय पक्ष में दर्ज की जानी अपेक्षित था ताकि एक निश्चित तिथि को रोकड़ बही में जमा राशि तथा बैंक में जमा राशि का मिलान हो सके, परन्तु न तो इन राशियों का ईन्द्राज रोकड़ बही में किया गया तथा न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी बैंक समाधान विवरण तैयार की गई जिसके कारण स्पष्ट करते हुये अविलम्ब इन राशियों का ईन्द्राज आय पक्ष में करके माह 9/2013 के पूर्व की बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाये।

क्र0सं0	माह जिसमें राशि ब्याज के रूप में	राशि	टिप्पणी
1	4.3.2007	951	
2	1.3.2008	2537	रोकड़ बही पर दर्ज नहीं की गई
3	4.9.08	2029	
4	3.9.13	3941	
5	6.3.13	2572	

8 ₹1120/– का दोहरा भुगतान करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 5.08.08 को सोसाईटी द्वारा ₹1120/– का भुगतान मै0 अनिल आर्ट सर्विस नाहन को वार्ड प्रिटिंग के कार्य हेतु उनके बिल संख्या 2052 के एवज में किया गया। इसी बिल द्वारा दिनांक 5.9.08 को उपरोक्त आपूर्तिकर्ता को ₹1120/– का भुगतान फिर से कर दिया गया। तत्पश्चात दो बार भुगतान की गई इस ₹1120/– की वसूली उचित माध्यम से करके दिनांक 14.11.14 को खाते में जमा करवा दी गई है तथा जमा राशि की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमिता की पुनरावृति न की जाए।

9 दूरभाष के बिलों की अदायगी हेतु ₹14891/– का अनियमित भुगतान करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान सोसाईटी द्वारा उपमण्डल अधिकारी कार्यालय तथा आवास पर लगे दूरभाष बिलों की अदायगी के लिए निम्नविवरणानुसार ₹15733/– का भुगतान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार Deptt. of Transport की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3\2000-e-Governance दिनांक 3.9.2005 के निर्देशों के अनुसार दूरभाष बिलों के भुगतान पर किया गया व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके इसे वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	राशि	टिप्पणी
1	15.3.08	2040	
2	6.6.08	1842	आवास से सम्बन्धित
3	5.9.08	4684	
4	3.11.08	5325	
	कुल योग	**14891**	

10 Air Conditioner की खरीद पर व्यय की गई ₹24229/– से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

वाउचर संख्या शून्य, दिनांक 7/11 के अन्तर्गत ₹24229/– का भुगतान मै0 Blue Star LTD को उनकी Invoice No. 00000525 दिनांक 18.7.2011 के अन्तर्गत 1 नं0 Air

Conditioner की आपूर्ति हेतु किया गया। वाउचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(क) उपरोक्त वर्णित Air Conditioner राज्य के बाहर के आपूर्तिकर्ता से क्रय किया गया तथा इससे सम्बन्धित Delivery Chalan भी अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) Air Conditioner की Installation Report सम्बन्धित कम्पनी के Engineer द्वारा नहीं दी गई।

(ग) नियमानुसार क्रय किये गये AC को स्टॉक तथा प्रापर्टी रजिस्टर पर दर्ज किया जाना अपेक्षित था जबकि इसे इन रजिस्टरों पर दर्ज नहीं किया गया।

(घ) उपरोक्त वर्णित **Air Conditioner** हेतु किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT (1) 3/2000-e-Governance दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार ई0 गवर्नेन्स निधि पर वैध प्रभार नहीं है।

अतः अनियमित रूप से किये गये इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 फोटोस्टेट मशीन की मुरम्मत पर ₹10200/– का अनियमित व्यय करनाः–

सोसाईटी द्वारा मै0 Image Commercial, Baddi को उनकी रसीद संख्या शून्य दिनांक 12.2.09 के अन्तर्गत फोटोस्टेट मशीन की मुरम्मत हेतु ₹10200/– का भुगतान किया गया। उपरोक्त वर्णित भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1) 3\2000-e-Governance, दिनांक 3.9.05 के अनुसार इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है क्योंकि यह मशीन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से सम्बन्धित नहीं है। अतः इस अनियमित व्यय को अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सिरमौर से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा ₹10200/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके इसे वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित किये बगैर Ink Cartiage की खरीद करनाः–

जांच के दौरान पाया गया कि ₹9196/– का भुगतान मेंसर्ज New Universal Type Service Centre नाहन को उनके बिल संख्या 63 दिनांक 10.8.2007 के एवज में निम्नविवरणानुसार सामान की आपूर्ति हेतु किया गया।

1	G. Sheets	5 No.	300	1500
2	Ink Cartrage	4 No.		5500
3	lamination punch	5 No.	250	1250
				8250
			वैट 4	330

Modam	616
कुल योग	**9196**

नियमानुसार उपरोक्त वर्णित सामान का क्रय किसी दर संविदा फर्म से अथवा निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित करके किया जाना अपेक्षित था जबकि सोसाईटी द्वारा नियमों की अवहेलना करके इसे खुल बाजार से बिना किसी औपचारिकता को पूर्ण क्रय कर लिया गया, जिसके कारण स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित की जाए तथा यह भी प्रमाणित किया जाये कि इस खरीद में कोई भी अनुचित/अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

13 कम्पयूटर प्रिन्टर को स्टॉक व प्रापर्टी रजिस्टर पर दर्ज न करनाः—

सोसाईटी द्वारा ₹19500/— का भुगतान हिमाचल प्रदेश State Electronic Carporation शिमला को उनके बिल संख्या 17140 दिनाँक 2.9.07 के एवज में 1 नं0 HP Laserjet 3055 कम्पयूटर प्रिन्टर की आपूर्ति हेतु किया गया। नियमों के अनुसार न तो इस प्रिन्टर को किसी कमेटी द्वारा जांचा गया और न ही इसकी प्रविष्टि स्टॉक तथा प्रापर्टी रजिस्टर पर की गई। अतः इसकी जांच व स्टॉक ईन्द्राज न करने का कारण स्पष्ट करते हुये तथा वांन्छित कार्रवाई अमल में लाते हुये इस प्रकरण में अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाये।

14 औपचारिकताऐं पूर्ण किये बगैर ही ₹12993/— के DMP Printer की खरीद करनाः—

सोसाईटी द्वारा ₹12993/— का भुगतान मैसर्ज आशु ऐजेन्सी नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को उनके बिल संख्या 2491 दिनांक 29.5.2010 के अन्तर्गत रसीद संख्या शून्य दिनांक 23.6.2010 के एवज में 1 नं0 DMP Printer TVS 455 की आपूर्ति हेतु किया गया। नियमों के अनुसार यह खरीद औपचारिकताऐं पूरी करके किसी दर संविदा फर्म से अथवा खुले बाजार से निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित करके की जानी अपेक्षित थी जबकि सोसाईटी द्वारा नियमों की अवहेलना करके यह खरीद की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा यह प्रमाणित करते हुये कि इस खरीद में कोई अधिक/अनुचित भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को नहीं किया गया है, इस व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाए जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाए गए जबकि इससे सम्बन्धित ₹16250/— का भुगतान दिनांक 29.1.2014 को रोकड़ बही के अनुसार किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	चैक संख्या	राशि
1	29.1.09	M\S Super Steel Febri Nahan	126934	8112
2	29.1.09	M\S Keshav Decorator Nahan	126935	4838
3	29.1.09	M\S Chawala Trader Nahan	126936	3300
			योग	₹16250

अतः उपरोक्त वर्णित बिलों से सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत करवाए जाये

16 प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख न रखनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशियों से सम्बन्धित counter files को अंकेक्षण के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाया गया जिसके अभाव में प्राप्तियों की जांच सम्बन्धित कम्पयूटर में Deeded Data स की गई जबकि नियम क अनुसार प्रत्येक दिन प्राप्त की गई राशि से सम्बन्धित काउंटर फाईल की मुद्रित प्रति अभिलेख में रखी जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों के अनुसार अभिलेख न रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये पूर्व की प्राप्तियों सहित समस्त प्राप्तियों की counter files अभिलेख रख कर आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 प्राप्त राशियों को हस्तगत रखकर देरी से बैंक में जमा करना

नियमों के अनुसार दैनिक प्राप्त राशियों को प्राप्ति के तिथि से अगले दिन बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है। जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि क दौरान प्राप्त राशियों को नियमानुसार अगले कार्यदिवस पर जमा न करवाकर लगभग 20–25 दिन बाद बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा है। अतः समय–2 पर राशियों को जमा न करवाकर इन्हें हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट करत हुये भविष्य में नियत समय पर प्राप्तियों को बैंक खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण अवधि के दौरान हस्तगत रखी गई कुछ राशियों/प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	दिनांक जब से राशि प्राप्त करना आरम्भ की	जिस दिन तक राशि प्राप्त की तथा जमा करवाई गई	अवधि	कुल राशि
1	22.10.12	31.10.12	10 दिन	33970
2	1.11.12	30.11.12	30 दिन	24210
3	1.11.12	10.12.12	10 दिन	16050
4	11.12.12	31.12.12	21 दिन	17860
5	31.12.12	15.1.13	16 दिन	19435

6	15.1.13	21.1.13	7 दिन	10430
7	22.1.13	4.2.13	14 दिन	24625
8	22.4.13	7.5.13	16 दिन	30850
9	28.5.13	25.6.13	29 दिन	71680
10	5.7.13	31.7.13	26 दिन	50825

18 विविधः—

केन्द्रीय ईकाई नाहन से समय—2 पर ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) नाहन को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) नाहन से केन्द्रीय ईकाई नाहन को समय—2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई नाहन से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणीः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः— लेखाओं के रख रखाव की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(xii)32/2014—2422—2426 दिनांक16.05.2015, शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश सिरमौर जिला सिरमौर (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—02
5 श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.